

2021

318

369

सरवर्क

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, बनेड़ा

किस्म मुकदमा	मुकदमा नं. एवं वर्ष	तारीख दायर	ग्राम का नाम	तारीख फैसल	नं. फैसल	तारीख फैशी
शुल्क ना पत्र	291 2021	29-11-21	यमनपुरा			

अनवान

श्री. बाराचला सिंह पिता सुदेन्द्र सिंह बनाम श्री राज ठाकुर
 बाराचला निवासी कजलोविद्या



निगराकार / प्रार्थी / अपी.

अप्रार्थी / रस्यो

खाता दुरुस्ती आवेदन-पत्र

(राज. मू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा-136)

सेवा में

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय

पदावधि

विषय- राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के संबंध में।

उपर्युक्त विषयसम्बन्धी निवेदन है कि ग्राम कपलपिपि की जमाबन्दी सम्मत 2022 के खाता संख्या 82 में रामादेव एवं सुरेशचंद्र के बजाय नारायणचंद्र एवं सुरेशचंद्र का नाम दर्ज है।

दिनांक-

प्रार्थी

नारायणचंद्र

संबन्धी

रिपोर्ट-पटवारी एवं मूख-निरीक्षक

निवेदन है कि ग्राम कपलपिपि के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्मत 2022 में प्रार्थी का नाम रामादेव एवं सुरेशचंद्र है। जबकि मुताबिक व जानकारी के अनुसार खातेदार का सही नाम नारायणचंद्र एवं सुरेशचंद्र है। अतः रिपोर्ट श्रीमान् की सेवा में भेज है।

मूख-निरीक्षक

29/11/21

भीमवाराम यादव
पटवारी 29/11/21
तह. बनेड़ा- पीलवाड़ा

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

प्रार्थी द्वारा रा.मू.राज. अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर

राजस्व रिकॉर्ड में स्वयं का/पिता नाम दुरुस्ती करवाने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर रिपोर्ट पटवारी 29/11/21 व मूख-निरीक्षक 29/11/21 एवं प्रार्थी द्वारा सलमन दत्तावेज के आधार पर ग्राम कपलपिपि की जमाबन्दी सम्मत 2022 की खाता संख्या 82 में प्रार्थी का नाम रामादेव एवं सुरेशचंद्र के बजाय नारायणचंद्र एवं सुरेशचंद्र किसे जाने कृत आदिषा को जाते है।

DN 318
29-11-21

29/11/21

तहसीलदार/नायब तहसीलदार
29/11/21 (पीलवाड़ा)

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार कपलपिपि ग्राम कपलपिपि जमाबन्दी सम्मत 2022 में

खाता संख्या 82 में दर्ज प्रार्थी का नाम रामादेव एवं सुरेशचंद्र के स्थान पर नारायणचंद्र एवं सुरेशचंद्र सही नाम के आदेश दिये जाते हैं।

उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा
प्रशासन गाँवों के संग
अभियान-2021